उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1977)[1]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार	1-	(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 कहलायेगा।
		(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
परिभाषा	2-	इस अधिनियम में "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियतकालिक मुद्रित प्रति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका-टिप्पणियाँ अन्तर्विष्ट हों।
विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना	3-	(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्ही भी कार्यवाहियों की सरल सही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के हेतु, किसी समाचार एजेन्सी द्वारा सामग्री के प्रदान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में, किन्ही सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय। (2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए नहीं है।
विधान मण्डल की कार्यवहियों के बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना	4-	यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यक्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में लागू होता है।
	5-	यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों।

1- उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए यू०पी० राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जुलाई, 1977 देखें। (26-07-1977 से लागू)